संख्या–1/2015/वे0आ0-1-406/दस-2015-5(एम)/2014

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,
उ0प्र0लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक : 01 अप्रैल, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 में आयोजनेत्तर पक्ष में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप के पत्र संख्या-ब्यूरो-845/दस-2014-12(बजट)/88टी0सी0, दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग के अधिष्ठान मद हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 16892000/- (एक करोड अडसठ लाख बानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिए निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि (हजार रू0)
1	01-वेतन	6042	6042
2	03-महंगाई भत्ता	7250	7250
3	04-यात्रा व्यय	100	100
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
5	06-अन्य भत्ते	1400	1400
6	07-मानदेय	110	110
7	08-कार्यालय व्यय	200	200
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	110	110
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30	30
10	13-टेलीफोन व्यय	50	50
11	14-मोटर गाडियों का क्रय	10	10
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रल आदि की खरीद	700	700
13	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	30	30
15	29-अनुरक्षण	60	60
16	42-अन्य व्यय	50	50
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	30	30
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	50	50
19	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	100	100
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100	100
21	49-चिकित्सा व्यय	300	300
22	51-वर्दी व्यय	20	20
		कुल योगः- 16892000/-	16892000/- (एक करोड अडसठ लाख बानबे हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिए अधिकार प्रदान नही करता, अतः जहॉ कही आवश्यक हों, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या-1/2015/वे0आ0-1-406(1)/दस-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0इलाहबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।